ORDER SHEET 50-2012Rct

THECOURT------

Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
इसी प्रक्रम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त कियागयाकि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय मे भेजा जाता है। इस संबंध मे रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे। उभयपक्षो को निर्देशित किया जाता हैकि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी गोहद के	
पक्षकार पूर्ववत प्रकरण में मीडिएशन रिर्पोट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। फरियादी विन्द्रावन द०प्र०स० की धारा320 (4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी अवयस्क पुत्री आहत देवी की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने	S SAN
f f 7	परिवादी सहित अधि०श्री मुकेश कुशवाह उप० आरोपी श्रीदेवी पूर्व से मृत आरोपी जगत सिंह एवं लाली सहित अधिश्री अशोक जादौन उप० प्रकरण आज बचाव साक्ष्य हेतु नियत हैं। आज दिनांक को फरियादी विन्दावन व आहत किशनादेवी उप० है। फरियादी व आहत की पहचान अधि०श्री मुकेश कुशवाह द्वारा की गई है। इसी प्रकम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त कियागयाकि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता हैकि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में उप० हो। प्रकरण मीडिएशन रिपीट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो। (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी० पुनश्च— पक्षकार पूर्ववत प्रकरण में मीडिएशन रिपीट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। फरियादी विन्दावन द०प्र०स० की धारा320 (4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी अवयस्क पुत्री आहत देवी की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई। सर्वप्रथम आवेदन धारा 320 (4) द०प्र०स० का निराकरण किया गया।

संरक्षक है एवं उसकी ओर से राजीनामा करने के लिये सक्षम है फरियादी विन्द्रावन ने आहत अवयस्क देवी की ओर से राजीनामा करने की अनुमित चाही है अतः वाद विचार आवेदन स्वीकार किया गया । फरियादी विन्द्रावन को आहत देवी की ओर से

तत्पश्चात द०प्र०स० की धारा 320 (2) के आवेदन पर विचार किया गया।

राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी जगत सिंह व लाली पर भादस की धारा 294,323/34(तीन शीर्ष) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है। फिरयादी विन्द्रावन व आहत किशनादेवी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। फिरयादी विन्द्रावन ने अवयस्क पुत्री देवी की ओर से भी प्रकरण में राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी जगत सिंह व लाली को भादस की धारा 294,3233/34 तीन शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उनके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे।

EITH STATE OF SUPERIOR STATE

सही / – प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद